उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14. अशोक मार्ग. लखनऊ–226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्याः 1886 / मा0सं0 (04) / उ0नि0लि0 / 2018–3(10)मा0सं0(04) / 2017 दिनांक 22 अक्टूबर 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– पदोन्नति पर मूल नियम– 22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प।

सातवे वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति की तिथि को अथवा आगामी वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम–22(बी)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने की सुविधा का विकल्प यथावत उपलब्ध रहने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में निर्गत किये गये स्पष्टीकरण विषयक शासनादेशों क्रमशः वित्त वेतन आयोग, अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश क्रमशः सं0–6 / 2017 / वे0आ0–2–03–वी0आई0पी0 / दस–2017 दिनांक 30 मार्च,2017, सं0–8 / 2017 / जी–2–75 / दस–2017–01(वे0स0) / 2017 दिनांक 07 जून, 2017 एवं सं0–10 / 2017 / जी–2–190 / दस–2017–01(वे0स0) / 2017 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 की अनुरूपता में उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0–1301–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 17–05 / काविनी एवं वे0प्र0 / 16 दिनांक 27.11.2017 एवं सपठित शुद्धि पत्र संख्या 90–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 17–05 / काविनी एवं वे0प्र0 / 16 दिनांक 24.01.2018 की अनुरूपता में निगम के कार्मिकों हेतु भी सम्बन्धित मामलो में तत्सम प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप सं0–367 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2018–3(10)–मा0सं0(04) / 2017 दिनाँक 26.02.2018 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है।

2. वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–2 / 2018 / जी–2–24 / दस–2018–01 (वे0सं0) / 2017 दिनांक 31.01.2018 द्वारा वेतन निर्धारण की प्रक्रिया व आगामी वेतन वृद्धि की तिथि के विनियमन की व्यवस्था को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तद्नुसार निगम कार्मिकों हेतु भी सम्बन्धित मामलों में, शासन की अनुरूपता में, वेतन निर्धारण किये जाने हेतु पूर्व निर्गत स्पष्टीकरण विषयक निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0–367 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2018–3(10)–मा0सं0(04) / 2017 दिनाँक 26.02.2018 के प्रस्तर–3 उपबिन्दु (iii) एवं (iv) के आंशिक संशोधन में उ0प्र0पा0का0लि0 के **कार्यालय ज्ञाप संख्या 536–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 18–5–काविनी एवं वे0प्र0–16 दिनाँक 18.06.2018** की अनुरूपता में एतदद्वारा निम्नवत स्पष्टीकरण जारी किये जा रहे हैः–

(क) निगम के उपर्युक्त सन्दर्भित स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.02.2018 में उल्लिखित मूल नियम 22(बी)(1) का आशय वस्तुतः मूल नियम 22–बी(1) से है और निगम के आदेश के निर्वचन में इसी नियम का संदर्भ लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.01.2016 से लागू किये गये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रोन्नति / वित्तीय स्तरोन्नयन की दशा में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया वही मानी जायेगी जैसा कि निगम के आदेश सं0–1303 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2017–3(10)–मा0सं0(04) / 2017 दिनांक 01.09.2017 के प्रस्तर–9 में निर्धारित है।

(ख) ऐसे कार्मिक जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22–बी(1) के अन्तर्गत दिनांक 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि को ही वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया हो और तद्नुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाये तो उन्हें आगामी 01जनवरी का वेतन वृद्धि तभी देय होगी जब उनके द्वारा दिनांक 01 जुलाई को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गयी हो। किन्तु यदि उक्त कार्मिक द्वारा 01 जुलाई को अपनी वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम 22–बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करने का विकल्प दिया जाय और उक्त नियम के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाय तो इस स्थिति में अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष बाद ही देय होगी क्योंकि ऐसी

क्रमशः 2 पर

स्थिति में संबंधित कार्मिक को दिनांक 01 जुलाई को पहले अपने पूर्व पद के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल) में सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी और तत्पश्चात मूल नियम 22–बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित होगा।

इसी प्रकार ऐसे कार्मिक जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22–बी(1) के अन्तर्गत दिनांक 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि को ही वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया हो और तद्नुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाय तो उन्हें आगामी 01 जुलाई को वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब उनके द्वारा दिनांक 01 जनवरी को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गयी हो। किन्तु यदि उक्त कार्मिक द्वारा 01 जनवरी को अपनी वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम 22–बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करने का विकल्प दिया जाय और उक्त नियम के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाय तो इस स्थिति में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद ही देय होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में संबंधित कार्मिक को दिनांक 01 जनवरी को पहले अपने पूर्व पद के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल) में सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी और तत्पश्चात मूल नियम 22–बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित होगा।

3. उक्त के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणो में उक्तवत प्रतिपादित व्यवस्था से भिन्न वेतन निर्धारण किया जा चुका हो उसमें त्वरित कार्यवाही करते हुये अधिक भुगतान की गयी धनराशि को सम्बन्धित कार्मिक के आगामी भुगतानों में से समायोजित कर लिया जायेगा।

4. उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के परिप्रेक्ष्य में निगम के आदेश सं0 सं0–367/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018–3(10)– मा0सं0(04)/2017 दिनाँक 26.02.2018 के प्रस्तर–3(III) के अन्तर्गत प्रदत्त विकल्प देने की सुविधा को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर पुनः दिया जा सकेगा अथवा पूर्व में दिया गया विकल्प संशोधित किया जा सकेगा।

5. निगम के आदेश सं0 कार्यालय ज्ञाप सं0–367/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018–3(10)–मा0सं0(04)/2017 दिनाँक 26.02.2018 की व्यवस्थाएँ उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

6. उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण के अनुसार सम्बन्धित मामलों में समुचित वेतन निर्धारण की कार्यवाही/संशोधन हेतु पूर्व में निगम के आदेश दिनांक 26.02.2018 के माध्यम से निर्गत क्रमशः संलग्नक–3 एवं 4, अब संलग्नक–3(यथा संशोधित) एवं संलग्नक–4(यथा संशोधित) संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)

सं0 : 1886–(1)–मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः 3 पर

4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक ओबरा/अनपरा/पारीछा एवं मुख्य अभियन्ता, हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 रा0वि0उ0नि0लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/ पनकी(कानपुर)।
5. महाप्रबन्धक(मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/ईंधन/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ तापीय परिचालन/जानपद–नवपरियोजनायें/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0(01/02/03/04/05/06)/टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/वित्त/लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
10. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
11. अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–01/05/03/04/रिफार्म) उ0प्र0 रा0वि0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0रा0वि0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
13. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 रा0वि0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
14. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध),उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
15. कट फाइल।

22/10/18
(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–04)

निगम के आदेश सं0 –1886/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018–3(10)–मा0सं0(04)/2016
दिनांकः 22 अक्टूबर 2018 का संलग्नक–3(संशोधित)

उदाहरणः–3 यथा संशोधित संलग्न–3 किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 के पश्चात की स्थिति में वेतन निर्धारणः–

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 3000 के तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल–5
2. प्रोन्नति की तिथि दि0 01.07.17
3. प्रोन्नति की तिथि के पूर्व दिनांक 30.06.17 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन रू0 36600
4. नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात दि0 01.07.17 को वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन रू0 37700
5. प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल–6
6. प्रोन्नति की तिथि का विकल्प देने पर मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल–5 में दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 38800
7. लेवल–6 में रू0 38800 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 39000
8. प्रोन्नति की तिथि दि0 01.07.17 को लेवल–5 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 39000
9. कार्मिक की पदोन्नति दि0 02.01.17 से दि0 01.07.17 की अवधि में होने एवं वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.17 को सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति के फलस्वरूप वित्तीय नियम– 22(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप निगम के आदेश दि0 01.09.17 तथा इस आदेश के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि दि0 01 जुलाई, 2018 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दि0 01 जुलाई, 2019 को अनुमन्य होगी।

वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800	5400/6600
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19900	21700	22400	27200	29800	36800	44900	47600	53100
2	20500	22400	23100	28000	30700	37900	46200	49000	54700
3	21100	23100	23800	28800	31600	**39000**	47600	50500	56300
4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000
5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700
6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500
7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300
8	24500	26800	27600	33400	**36600**	45200	55200	58600	65200
9	25200	27600	28400	34400	**37700**	46600	56900	60400	67200
10	26000	28400	29300	35400	**38800**	48000	58600	62200	69200

निगम के आदेश सं0 –1886 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2018–3(10)–मा0सं0(04) / 2016
दिनांक : 22 अक्टूबर 2018 का संलग्नक–4(संशोधित)

उदाहरणः–4 यथा संशोधित संलग्न–4 किसी कार्मिक की प्रोन्नति / वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 होने के पश्चात की स्थिति में वेतन निर्धारणः–

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 3000 के तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल–5
2. प्रोन्नति की तिथि 01.05.17
3. प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01.05.17 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन 36600
4. प्रोन्नत के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल–6
5. मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु अगली वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.17 का विकल्प देने पर प्रोन्नति की तिथि दि0 01.05.17 को मूल नियम 22(ए)(1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन लेवल–6 में रू0 36600 की धनराशि से अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 36800 यह वेतन दि0 01.05.17 से दि0 30.06.17 तक देय होगा।
6. वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.17 को लेवल–5 मे एक नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 37700
7. प्रोन्नति पर मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल–5 में दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 38800
8. लेवल–6 में रू0 38800 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 39000
9. वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.17 को लेवल–6 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 39000
10. कार्मिक की पदोन्नति दि0 02.01.17 से दि0 01.07.17 की अवधि में होने एवं वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.17 को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार प्रोन्नति पर मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप निगम के आदेश दि0 01.09.17 तथा इस आदेश के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि दि0 01 जुलाई, 2018 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दि0 01 जुलाई, 2019 को अनुमन्य होगी।

वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800	5400/ 6600
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19900	21700	22400	27200	29800	**36800**	44900	47600	53100
2	20500	22400	23100	28000	30700	37900	46200	49000	54700
3	21100	23100	23800	28800	31600	**39000**	47600	50500	56300
4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000
5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700
6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500
7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300
8	24500	26800	27600	33400	**36600**	45200	55200	58600	65200
9	25200	27600	28400	34400	**37700**	46600	56900	60400	67200
10	26000	28400	29300	35400	**38800**	48000	58600	62200	69200